बिहार सरकार

समाहरणालय, शेखपुरा

विद्युत संवेदक, विद्युत पर्यवेक्षक, वायर मैन, तार मिस्त्रीयों के लाईसेंस प्राप्त करने से संबंधित सूचना।

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0 276/स0को0 दिनांक 08.07.2013 एवं जिला स्तरीय लाईसेंसिंग वोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 177 के उपधारा (2वी0) के तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम 2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम 29 क के आलोक में गठित लाईसेंसिंग वोर्ड द्वारा विद्युत संवेदक, विद्युत पर्यवेक्षक, वायरमैन/तार मिस्त्रीयो के लाईसेंस प्राप्त करने हेतु इच्छुक अहर्ताधारी योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन का विहित प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस पर वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी विद्युत के कार्यालय, समाहरणालय शेखपुरा से प्राप्त कर सकते है। विद्युत संवेदक, विद्युत पर्यवेक्षक, वायरमैन/तार मिस्त्रीयो के लाईसेंस प्राप्त करने हेतु योग्यता निम्नांकित है।

विद्युत ठेकेदार हेतु योग्यताः–

→ दो परमिटधारी तार मिस्त्री तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

→ लगातार तीन वर्षो तक नवीकरण नहीं कराये जाने पर लाईसेंस वोर्ड द्वारा प्रदत्त लाईसेंस रद्द कर दिये जायेगें।

→ ठिकेदार अनुज्ञापत्र की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण–पत्र की सीमा के अन्तर्गत होगा।

→ ठिकेदार अनुज्ञापत्र किसी फर्म अथवा किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर लिया जा सकेगा इसके लिये तीन अभिप्रमाणित फोटो एवं दो संभ्रान्त व्यक्तियों का पहचान देना होगा।

→ इसके लिए 250.00 रूपये (दो सौ पचास) का डी0डी0/वेक जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष विद्युत लाईसेंसिंग वोर्ड, शेखपुरा के पदनाम से देय होगा।

विद्युत पर्यवेक्षक हेतु योग्यताः–

→ विद्युत अभियत्रण प्राप्त प्रमाण पत्र।

→ विद्युत डिप्लोमा प्रमाण. एवं दो वर्षो का विद्युत कार्यानुभव/दो वर्षीय इलेक्ट्रिशियन/वायर मैन ट्रेड (I.T.I) मे उत्तीर्ण के साथ चार वर्षो का विद्युत सयंत्रो का रख–रखाव का ज्ञान।

→ मैट्रिक या समकक्ष के वाद छः वर्षो का विद्युत संयंत्रों का रख–रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान।

→ सचरित्रता प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

→ इसके लिए 100.00 रूपये (एक सौ रूपये) का डी0डी0/चेक जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष विद्युत लाईसेंसिंग वोर्ड, शेखपुरा के पदनाम से देय होगा।

→ तीन फोटो संलग्न करना आवश्यक है।

→ आवासीय प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। शेखपुरा जिले का आवासीय प्रमाण–पत्र को प्राथमिकता दी जायेगी।

तार कर्मी हेतु योग्यताः–

→ विद्युत संबंधी कार्य का एक वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होगा।

→ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

→ सचरित्रता प्रमाण–पत्र पाँच वर्षो का उत्तरदायी व्यक्ति का आवश्यक होगा।

→ अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

→ इसके लिए 25.00 रूपये (पच्चीस रूपये) का डी0डी0 / चेक जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष विद्युत लाईसेंसिंग वोर्ड, शेखपुरा के पदनाम से देय होगा।

→ तीन फोटो संलग्न करना आवश्यक है।

→ आवासीय प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। शेखपुरा जिले का आवासीय प्रमाण–पत्र को प्राथमिकता दी जायेगी।

दिनांक 18.08.2017 के संध्या 05:00 बजे तक आवेदन हाथों–हाथ या निबंधित डाक से वरीय उपसमाहर्त्ता प्रभारी विद्युत, जिला नजारत शाखा समाहरणालय, शेखपुरा के नाम से भेजा जा सकता है। साथ ही आवेदन पत्र पर अपना मोबाईल नं0 अवश्य अंकित करेंगे।

जिला पदाधिकारी–सह–
अध्यक्ष विद्युत लाईसेंसिंग
वोर्ड, शेखपुरा

ज्ञापांक .... / नजा0 दिनांक .... /

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दो स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराना सुनिश्चित किया जाय।

जिला पदाधिकारी–सह–
अध्यक्ष विद्युत लाईसेंसिंग
वोर्ड, शेखपुरा

ज्ञापांक 224 / नजा0 दिनांक 24.07.17 /

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन जिला के अधिकारिक वेवसाईट पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी–सह–
अध्यक्ष विद्युत लाईसेंसिंग
वोर्ड, शेखपुरा